

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
बी-17, जे-रोड, सेक्टर-सी, महानगर विस्तार, लखनऊ
(विज्ञापन सं०- 4/विसेआ/2014)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत समूह 'ग' की रिक्तियों हेतु प्राप्त अध्याचन के अनुपालन में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

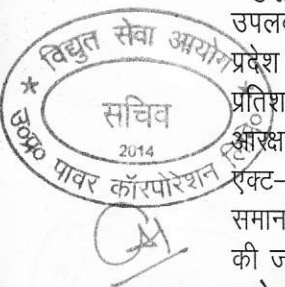
क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित रिक्तियाँ	आरक्षित रिक्तियाँ		
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)
1	31	तकनीशियन ग्रेड-2 (प्रशिक्ष) विद्युत (TECHNICIAN GRADE-2 (TRAINEE) ELECTRICAL	2211	1106	464	44	597

उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है। यह रिक्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उ०प्र० शासन द्वारा चिन्हित नहीं हैं।

- वेतनमान:-** वेतन बैंड-1 में वेतनमान रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2600 (अन्य भत्ते उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार होंगे)।
- अनिवार्य अर्हतायें:-** (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र। एवं (2) Course on computer concept (CCC) प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष कम्प्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र।
नोट:- केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- आयु :** दिनांक 01.01.2014 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।
- आयु में अनुमन्य छूट :**
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)' एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
(ख) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (अधिकतम आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट का लाभ जोड़ते हुए अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये)
(ग) अप्रेंटिसशिप एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक (अधिकतम 2 वर्ष) अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य।
- आरक्षण :-** (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)' एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के वे अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। (ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। (ग) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। (घ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को नियमानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। (ङ) चयन परिधि की सूची के अन्त में दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी एवं यदि प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर एवं अप्रेंटिस की अवधि भी समान हो तो ऊर्जा विभाग/ऊर्जा प्रतिष्ठान में की गयी अप्रेंटिस को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- आवेदन शुल्क :** आवेदन शुल्क (Non Refundable) अप्रतिदेय है।

1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (उ०प्र० के मूल निवासी)	Rs. 700/-
2.	सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी	Rs. 1000/-
3.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) श्रेणी (उ०प्र० के मूल निवासी)	Rs. 1000/-
4.	उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं:-	Rs. 1000/-

(1) आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग"/ए.टी.एम. सह डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/Payment Gateway अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी, इसमें अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है, बैंक चार्ज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। (2) आवेदन शुल्क के



मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

7. **अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-**

अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता/चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/कम्प्यूटर सम्बन्धित "CCC" प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति आनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ साक्षात्कार के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने या प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र :** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9. **चरित्र :** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

10. **वैवाहिक स्थिति :** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

11. **चयन प्रक्रिया :** चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का विवरण निम्नवत् होगा :-

पद का नाम	लिखित परीक्षा (अवधि-3 घंटे)	अंकों का विवरण
तकनीशियन ग्रेड-2 (प्रशिक्षु) विद्युत	200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न-200 अंक (150 प्रश्न सम्बन्धित तकनीकी विषय, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 20 प्रश्न तार्किक ज्ञान एवं 10 प्रश्न सामान्य हिन्दी विषय से सम्बन्धित होंगे)	1) वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा - 200 अंक (लिखित परीक्षा में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 28 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं।) 2) साक्षात्कार - 25 अंक

13. **परीक्षा स्थान:-** परीक्षायें लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ एवं आगरा शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

14. **आवेदन कैसे करें:** कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT. NO.- 4/VSA/2014" पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "HOW TO APPLY" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भाँति समझें एवं आवेदन शुल्क जमा करने के बाद "FILL APPLICATION FORM" पर क्लिक कर आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार पहचान सम्बन्धी दिए गए विकल्प जो आवेदन पत्र में उल्लिखित किया गया उसे भी अन्तिम परीक्षाफल आने तक सुरक्षित रखें।

15. **प्रवेश पत्र :** लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वेबसाइट www.uppcl.org से अथवा रजिस्टर्ड ई-मेल पर प्रेषित लिंक के द्वारा डाउनलोड करना होगा। Admit Card डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

अन्य विवरण: मूल आवेदन पत्र के साथ सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा उपरोक्त बिन्दु 7 के अनुसार एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में तथा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। अन्तिम चयन से पूर्व किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है। आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk.tg414@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. **पारदर्शिता:-** परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं:-

(1) अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के बाद ओ0एम0आर0 आन्तर शीट की एक प्रति एवं प्रश्नपत्र पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं।



18. (2) प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से 01 कार्यदिवस के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा एवं अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ होगा।

19. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	08-09-2014 से 28-09-2014 तक
2	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	10-09-2014 से 30-09-2014 तक

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

नोट: कृपया उपरोक्त लाइन के नीचे का मैटर न छापें।

सं० 1002/विसेआ/ 4-विसेआ-2014 दिनांक 06.09.2014

